

कार्यालय/न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, (सदस्य)
श्री दिनेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर (जी०एस०टी० एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

सर्वश्री अमन ट्रेडर्स,
सिंह धर्म कांटा, दुर्गापुर रोड, अमेठी-227405
GSTIN- 09AOTPS3938J1ZZ (आवेदक)

आवेदक की ओर से :- श्री अशोक कुमार सिंह (फर्म स्वामी), श्री जयराम श्रीवास्तव (अधिवक्ता),
श्री ओम कुमार (अधिवक्ता)

विभाग की ओर से :-

**केन्द्रीय जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एस०जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 की धारा-98 के
अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।**

श्री संजय कुमार पाठक (सदस्य)

केन्द्रीय जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 तथा उ०प्र० एस०जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 की धारा-98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी है:-

Business of Trading- Debark/Bark Eucalyptus wood waste, debark/bark subabool wood, debark/bark poplar wood waste (length about 2 meter and its girth between 15 to 60Centimeter supply of paper mills.

आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अंकित उक्त बिंदु स्पष्ट नहीं है। इस तथ्य से सुनवाई के समय आवेदक को अवगत कराया गया, आवेदक द्वारा निम्न प्रकार संशोधित बिंदु शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया:-

That the deponent by rectifying himself, is clearly mentioning the names of commodities to be decided be Advance Ruling in relation to HSN 4401 as below:

DEBARK/BARK EUCALYPTUS WOOD WASTE, DEBARK/BARK SUABOOL WOOD WASTE, DEBARK/BARK POPLAR WOOD WASTE (LENGTH ABOUT 2 METER AND ITS GIRTH BETWEEN 15 TO 60 CENTIMETER) TO BE SUPPLIED TO PAPER MILLS FOR PULPING ONLY.

आवेदक द्वारा वाद की सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यूकेलिप्टस, सुलबुल तथा पॉपुलर की लकड़ी पेपर मिलों को सप्लाई की जाती है, उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की लम्बाई 3 फुट से 6 फुट तथा मोटाई 15 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली



लकड़ी WOOD WASTE होती है, जो HSN 4401 के अन्तर्गत वर्गीकृत है तथा 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। इसका उपयोग केवल जलौनी के रूप में अथवा पेपर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा लकड़ी/ WOOD WASTE की सप्लाई मुख्य रूप से पेपर मिलों से प्राप्त क्रय आदेश के विरुद्ध की जाती है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माल परिवहन के दौरान वाणिज्य कर विभाग की सचल दल इकाईयों द्वारा इसे रोक कर 5 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित अधिवक्ता श्री जयराम श्रीवास्तव तथा श्री ओम कुमार द्वारा युकेलिप्टस लकड़ी के कुछ फोटोग्राफ्स, विभिन्न पेपर मिलों द्वारा जारी क्रय आदेश, सर्वश्री ए0आई0ई0 वैली ट्रेडर्स प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ऑनिंग दि साऊथ ईस्टर्न रेलवे एण्ड दि रेलवे बोर्ड के वाद में रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, चेन्नई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.1997 की प्रति लिखित स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत की गयी।

प्रश्नगत आवेदक सेन्ट्रल जी0एस0टी0 के क्षेत्राधिकार में है। अतः अग्रिम विनिश्चय प्रार्थना पत्र के संबंध में डिप्टी कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 रायबरेली डिवीजन से आख्या मांगी गयी। डिप्टी कमिश्नर सेन्ट्रल जी0एस0टी0, रायबरेली डिवीजन द्वारा प्रेषित आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। इस आख्या में निम्न तथ्य अंकित हैं:—

1. All the wood (tree branches/logs/twigs) available on the depot was in cut form and of Eucalyptus tree which are of 3 to 6 feet in length and 1 to 6 inches in diameter. some of the logs are with bark and some are without bark.
2. All the wood (tree branches/logs/twigs) present there does not appear to be so good and smooth in shape, size and quality so that it can be used for making of furniture or making of balli or veneer etc. The inside portion of wood (tree branches/logs/twigs) is also hollow in some cases. In this regard, party contested that this type of wood (tree branches/logs/twigs) is mainly used as जालौनी लकड़ी or fuel wood (tree branches/logs/twigs) and they are supplying it to paper mills across the country for making pulp used in the manufacture of paper.
3. M/s Aman Traders, Amethi is selling their product to various paper mills only and dispatches are made on Prapatra No. 9 of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Lalganj (copies enclosed for the period 06.01.2018 to 19.05.2018). The party informed that these paper mills are procuring this type of woods (tree branches/logs/twigs) from all India basis at the rate of 5% GST and no where it is supplied at the rate of 18% GST.

In view of the verification conducted by Superintendent (Preventive), Raebareli, it appears that their product falls under HSN code 4401 of GST Tariff 2017 as a fuel wood as it does not appear to fall under HSN 4403 of GST Tariff 2017 attraction GST @ 18%.

आवेदक अथवा अन्य सप्लायर्स द्वारा भेजे जा रहे ऐसे सम्बन्धित, जिन्हें आवेदक के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा जाँच हेतु रोक कर 5 प्रतिशत की स्थान पर 18 प्रतिशत



की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है, के सम्बंध में कोई विशिष्ट तथ्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. 1/2017-Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के Schedule-I की प्रविष्टि क्रमांक-198 निम्नवत है:-

S.No.	Chapter/Heading/ Subheading/ Tariff item	Description of Goods	CGST, SGST Rate
198.	4401	Wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms	2.5%, 2.5%

जी०एस०टी० व्यवस्था में वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बंध में कस्टम टैरिफ एक्ट के वर्गीकरण को अंगीकार किया गया है। चैप्टर-44 के Heading 4401 निम्नवत है:-

44.01- FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWINGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLERS OR SIMILAR FORMS.

4401.10- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms

- Wood in chips or particles:

4401.21- Coniferous

4401.22- Non-coniferous

4401.30- Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs,

इस चैप्टर से सम्बंधित Explanatory Notes में wood waste and scrap को निम्न प्रकार Explain किया गया है:-

Wood waste and scrap, not usable as timber. These materials are used in particular for pulping (manufacture of paper) and in the manufacture of particle board and fibreboard and as fuel. Such waste and scrap includes, saw mill or planning mill rejects; manufacturing waste; broken planks; old crates unusable as such; bark and shaving (whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms); other waste and scrap of joinery and carpentry; spent dyewood and tanning wood or bark.



टैरिफ हेडिंग-44.03- WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (+) को निम्न प्रकार Explain किया गया है:-

The principal products classified here, when of the above description, include; timber for sawing; poles for telephone, telegraph or electrical power transmission lines; unpointed and unsplit piles, pickets, stakes, poles and props; round pit-props; logs, whether or not quarter-split for pulping; round logs for the manufacture of veneer sheets, etc. ; logs for the manufacture of match sticks, woodware, etc.

Telegraph, telephone or electrical power transmission poles are also to be classified in this heading when further trimmed with a draw knife or peeled with a mechanical peeler to a smooth surface ready for use. These poles are often painted, stained, varnished or impregnated with creosote or other substance.

उक्त Explanatory Notes से यह स्पष्ट है कि लकड़ी के ऐसे लट्टे अथवा लट्टों का ढेर, जो टिम्बर, बिजली अथवा टेलिफोन के पोल्स, बल्ली, माचिस की तीली बनाने, विनियर बनाने, वुडवेयर बनाने आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते, वह Wood waste and scrap की श्रेणी में आयेंगे। Wood waste and scrap केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. 1/2017-Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के Schedule-I की प्रविष्टि क्रमांक-198 में समाहित हैं तथा इस पर 2.5 प्रतिशत की दर से सी०जी०एस०टी० तथा 2.5 प्रतिशत की दर से एस०जी०एस०टी० की देयता है।

विनिर्णय

लकड़ी के ऐसे लट्टे अथवा लट्टों का ढेर, जो टिम्बर, बिजली अथवा टेलिफोन के पोल्स, बल्ली, माचिस की तीली बनाने, विनियर बनाने, वुडवेयर बनाने आदि कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते, वह Wood waste and scrap की श्रेणी में आयेंगे। Wood waste and scrap केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. 1/2017-Central Tax (Rate) दिनांक 28 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) तथा इसके समतुल्य उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं०. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/17-U.P Act-1-2017-Order-(06)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के Schedule-I की प्रविष्टि क्रमांक-198 में समाहित हैं तथा इस पर 2.5 प्रतिशत की दर से सी०जी०एस०टी० तथा 2.5 प्रतिशत की दर से एस०जी०एस०टी० की देयता है।

(दिनेश कुमार)

एडिशनल कमिश्नर

(जी०एस०टी० एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ।

(सदस्य)

(संजय कुमार पाठक)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सदस्य)



आदेश सं०

॥

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण उ०प्र०

दिनांक: 14.06.2018

प्रतिलिपि:-

1. चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल जी०एस०टी० एवं सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन-फैजाबाद के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
4. ज्वाइंट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी०एस०टी० कमिश्नरेट, इलाहाबाद।
5. सर्वश्री अमन ट्रेडर्स, सिंह धर्म कांटा, दुर्गापुर रोड, अमेठी-227405

